(47)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

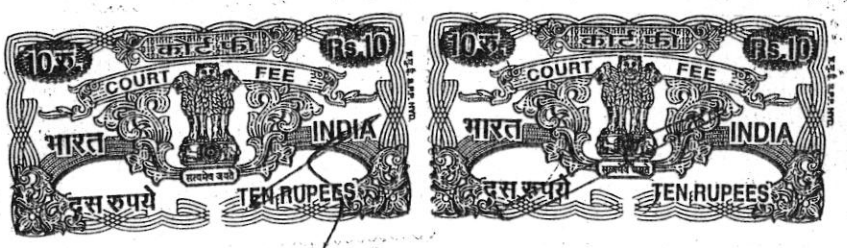

R-1675-II/13

आवेदक की ओर से मंजुला तिवारी एड. द्वारा पेश। 6.4.13

क्लर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

रामकृपाल तनय रामेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी उम्र 70 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम भरौली थाना अमदरा तहसील मैहर जिलासतना म.प्र. ।

....निगरानीकर्ता

165
6.4.13

बनाम

1.— राजेन्द्र कुमार तनय स्व. बाला प्रसाद ब्रा. उम्र 38 वर्ष पेशा खेती

2.— अभय कुमार तनय स्व. श्री बाला प्रसाद ब्रा. उम्र 32 वर्ष पेशा टेक्नी ग

3.— माधौ प्रसाद तनय स्व. श्री रामेश्वर प्रसाद ब्रा. उम्र 65 वर्ष,

4.— गंगा प्रसाद तनय स्व. रामेश्वर प्रसाद उम्र 78 वर्ष पेशा खेती,

सभी निवासी ग्राम भरौली तहसील मैहर जिला सतना म.प्र.

....उत्तरवादीगण

24.4.13

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्र. 748/निगरानी/2010-1 आदेश दिनांक 13.02.2013,

---

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि निगरानीकर्ता एवं उसके भाई गंगा प्रसाद , बाला प्रसाद, माधौ प्रसाद, की पैतृक भूमि खसरा क्रमांक-316 रकबा 23बीघा 9 बिस्वा स्थित ग्राम लोही वृत्त अमदरा तहसील मैहर जिला सतना म.प्र. में थी जो सह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1675–दो/2013 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–12–2016	उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। 2/ प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 व 2 के पिता बाला प्रसाद तथा अनावेदक कमांक 3 माधौ प्रसाद ने अनावेदक कमांक 4 गंगा प्रसाद को प्रत्यर्थी बनाकर नायब तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 178/110 का आवेदन पेश किया। आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 7–3–1989 को अंतिम आदेश पारित कर दिया। आवेदक को उक्त आदेश की जानकारी होने पर उसके द्वारा संहिता की धारा 35(3) के आवेदन पर अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण पुनः विचारण में लेने के आदेश दिनांक 15–6–11 को दिया। इसके विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसमें अपर कलेक्टर सतना ने आदेश दिनांक 4–8–2011 के द्वारा अतिरिक्त तहसीलदार का आदेश निरस्त किया। आवेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 13–12–13 से निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्षों के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय के प्रकरण में दिनांक 7–3–1989 को आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अंतिम	

आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 35(3) का सहारा लेकर पुनः विचारण में लेने का आदेश देने में त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के अंतिम आदेश के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के तहत अपील किये जाने का प्रावधान है परन्तु गलत धारा का सहारा लेकर अतिरिक तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है। अपर कलेक्टर द्वारा इसी वैधानिक बिन्दु पर अतिरिक्त तहसीलदार के आदेश को त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया है जिसे अपर आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा है। अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष में हस्तक्षेप का आदेश का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस. एस. अली)
सदस्य